


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1569]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 6, 2014/श्रावण 15, 1936

No. 1569]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 6, 2014/SHRAVANA 15, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2014

का.आ. 1999(अ).—द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) का खंड 15, केन्द्रीय सरकार को, किसी कठिनाई को दूर करने के लिए या लोक हित को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस आदेश के सभी या किसी उपबंध से साधारणतया या किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को वर्ग को छूट देने के लिए सशक्त करता है ;

अतः, अब, उक्त आदेश के खंड 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान होने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को उक्त आदेश के खंड 11 के उपबंधों से छूट प्रदान करती है और उसे दस हजार मीट्रिक टन प्रतिमास तक अपनी घरेलू तौर पर उत्पादित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस को अपनी स्वयं की समानांतर विपणन प्रणाली की आवश्यकता के लिए उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

- (क) रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को समान मात्रा में आयात करना होगा और उसका पब्लिक सेक्टर तेल विपणन कंपनियों को उस कीमत पर परिदान करना होगा जो इस संव्यवहार को तेल विपणन कंपनियों के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा घरेलू उत्पादन से उसी मात्रा में उपापन के मुकाबले लागत-निरपेक्ष या अधिक सस्ता बनाती हो ;

- (ख) इस प्रभाव का ठहराव कांडला बंदरगाह पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आयात सुविधा के पुनः आरंभ होने तक या 31 मार्च, 2015 तक या और आदेश होने तक, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, विधिमान्य होगा।

[फा. सं. पी-17018/4/2008-एलपीजी (भाग 4)]

डा. नीरज मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2014

S.O. 1999(E).—Whereas clause 15 of the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000 (hereafter in this notification referred to as the said Order), empowers the Central Government, for avoiding any hardship or in consideration of the public interest, by notification in the Official Gazette, exempt any person or class of persons from all or any of the provisions of this Order, either generally or for any specific purpose, and subject to such conditions as may be specified in the notification;

Now, therefore, in pursuance of the powers conferred by clause 15 of the said Order, the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempt the provisions of clause 11 of the said Order and authorises the Reliance Industries Limited to use its domestically produced Liquefied Petroleum Gas for their own Parallel Marketing System requirement of up to ten thousand metric Tonne per month subject to the following conditions, namely:—

- (a) the Reliance Industries Limited shall have to import the equivalent quantity and deliver it to public sector Oil Marketing Companies at a price which makes this transaction, cost-neutral or cheaper to Oil Marketing Companies, *vis a vis* procurement of same quantity from domestic production by Reliance Industries Limited;
- (b) arrangement to this effect shall be valid till Liquefied Petroleum Gas import facility at Kandla Port is re-commissioned or the 31st March, 2015 or till further Orders, whichever is earlier.

[F. No. P-17018/4/2008-LPG (Pt 4)]

Dr. NEERAJ MITTAL, Jt. Secy.